

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)

कार्या :- कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (निर्माण) संभाग, छ.ग.स्टेट.पा.ट्रांस.कं.लिमि.रायपुर
पता :- गुडधियारी, रायपुर (छ.ग.) 492009

वेबसाइट - www.cspc.co.in, ईमेल - ceehtconst.raipur@cspc.co.in, टेलीफोन/फैक्स नं. - 0771-2574725

क्र. / का.यं. / अउदा.नि. / 733.....

/ रायपुर दिनांक 07/12/2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
(सामान्य) वन मंडल
गरियाबंद (छ.ग.)

विषय:- Diversion of 111.456 hact. Of Forest land in favour of Executive Engineer, EHT (Constn.) Division, CSPTCL Gudhiyari, Raipur for construction of on 132 KV Nagri-Indagaon Transmission Line under Forest (Conservation) Act, 1980 in Dhamtri and Gariyaband District. in the State of Chhattisgarh.

Registration No. FP/CG/TRANS/22047/2016

- संदर्भ:- 1) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्र. FC-III/CH-27/2018-NGP/3791 Dated 06.06.2018.
2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक अ.उ.दर.नि./2990 रायपुर दिनांक 28/02/2019.
3) आपका पत्र क्र.मा.चि./भू-प्रबंध/722 गरियाबंद दिनांक 19.02.2019.
4) आपका पत्र क्र.मा.चि./भू-प्रबंध/4048 गरियाबंद दिनांक 26.10.2020.

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार, गरियाबंद एवं धमतरी जिले के गरियाबंद, उदंती सीतानदी, टाईगर रिजर्व गरियाबंद एवं धमतरी वनमंडल के अंतर्गत 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागांव विद्युत ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के लिये रकबा 111.456 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव के प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिंदुवार पालन प्रतिवेदन पृथक-पृथक वचन पत्र सादर प्रस्तुत है।

संलग्न:- 1. पालन प्रतिवेदन 03 प्रति

कार्यपालन यंत्री

अ.उ.दा. (निर्माण) संभाग

छ.ग.स्टेट. पा. ट्रांस. कं. लिमि. रायपुर

G/C

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य संरक्षक, (भू-प्रबंध) नया रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कार्यपालक निदेशक (नि.एवं संधा.) छ.ग.स्टेट. पा. ट्रांस. कं. लिमि. रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता अउदा. नि.एवं संधा. छ.ग.स्टेट. पा. ट्रांस. कं. लिमि. रायपुर।



Condition - (i)

Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged

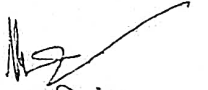
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा 132 के.वी. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 111.456 हेक्टेयर वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (i) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।

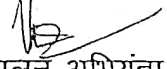

कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition - (ii)

Compensatory afforestation over 223.00 ha degraded forest land. Shall be raised and maintained by the state forest Department at the cost of the User Agency;

शर्त का पालन प्रतिवेदन

वन विभाग द्वारा छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर के खर्च पर कुल 223.00 हेक्टेयर अवकमितवनभूमि (degraded forest land) Village - Dahkoni, Gatva, Udaypur, Katra Tah-Baloda, Distt - Champa पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सिंचित) करने हेतु रु. 14,72,34,635.00 एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रु. 14,18,35,299.00 (कुल राशि 14,72,34,635.00+14,18,35,299.00 = 28,90,69,934.00) RTGS के माध्यम से केम्पा निधि के खाता कं. AD-Hoc CAMPA in saving Bank A/C No. (Chhattisgarh CAMPA) 150646422047141 Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003, एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सिंचित) में जमा राशि में अन्तर की राशि 14723575.00 एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य में जमा राशि में अन्तर राशि 42650072.00 (कुल राशि 14723575.00 + 42650072.00 = 57373647.00) RTGS के माध्यम से केम्पा निधि के खाता कं. AD-Hoc CAMPA in saving Bank A/C No. (Chhattisgarh CAMPA) 150646422047570 Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi - 110003 के स्थानान्तरित कर दिया गया है। पावती की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर



Main Branch, Raipur (0461)

Counterfoil

Date 03.11.2018
Received From EE EHT (Constn) Dn.
CSPTCL, Gudhlyari, RAIPUR.

By Cheque/Transfer for
RTGS Chq. No. 700515/05.11.2018
On RAIPUR (CG)
Bank STATE BANK OF INDIA, MAIN
BRANCH (A/c No. 10822706438)
Favoring CHHATTISGARH CAMPA
CHHATTISGARH
(As per RTGS Challan for Ad-HOC CAMPA on Dtd.
05.11.18)

A/c No. 150646422047141
Amount Rs. 289069934.00

Exchange Rs. 59.00

Total Rs. 289069993.00
(Rs. Twenty Eight Crore Ninety Lacs Sixty Nine
Thousand Nine Hundred Ninety Three) Only.

UTR No:

S	B	I	N	R	S	2
9	1	8	1	1	0	5
0	0	0	0	0	0	0

49003
(Bank Seal & Signature)

Executive Engineer
EHT (Constn.) Dn. CSPTCL, RAIPUR

Executive Engineer
EHT (Constn.) Dn. CSPTCL, RAIPUR



Main Branch, Raipur (0461)

Counterfoil

Date 01.06.2020

Received From EE EHT (Constn) Div.
CSPFCL, Gudhiyari, RAIPUR.

By Cheque/Transfer for _____

RTGS Chq. No. 511696/01.06.2020

On RAIPUR (CG)

STATE BANK OF INDIA, MAIN
BRANCH (A/c No. 10822706-438)

CHHATTISGARH CAMPA

CHHATTISGARH

(As per B/GS Challan for Ad-HOC CAMPA on Dtd. 29.05.2020)

A/c No. 150646422047570

Amount Rs. 57373647.00

Rs. 47.20

Total Rs. 57373694.20

Rs. Five crore seventy three lac seventy three thousand six hundred ninety four and paise twenty)

11. DATE NO.

--	--	--	--	--	--	--	--

(Bank Seal & Signature)

Executive Engineer
EHT (Constn.) Dn. CSPTCL, RAIPUR

Condition – (iii)

The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

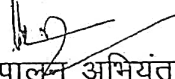
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा वर्तमान मजदूरी दर से क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 7 से 10 वर्ष के रखरखाव हेतु राशि जमा की गई है एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (iii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition – (iv)

The state Government shall charge the net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC Dated 05.02.2009 in this regard.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

समादेश याचिका (सी)कं. 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.कं.-566 में माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 के अनुसार तथा मंत्रालय के पत्र कं 5-1/1998 – एफ.सी(पार्ट-II) दिनांक 18.09.2003 के साथ इससे संबंधित पत्रांक 05.02.2006 FC- dt. 03.10.2006 and 5-6/2007 dt. 05.02.2009 के द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य शासन उपयोगकर्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव हेतु व्यववर्तित की जानी वाली 111.456 हेक्टेयर क्षेत्र की वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान प्रत्यासा मूल्य की राशि रु. 14,18,35,299.00 (कुल राशि 14,72,34,635.00 + 14,18,35,299.00 = 28,90,69,934.00) RTGS AD-Hoc CAMPA in saving bank A/C No. (Chhattisgarh CAMPA) 150646422047141 Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi – 110003 ,एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सिंचित) में जमा राशि में अन्तर की राशि 14723575.00 एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य में जमा राशि में अन्तर राशि 42650072.00 (कुल राशि 14723575.00 + 42650072.00 = 57373647.00) RTGS AD-Hoc CAMPA in saving bank A/C No. (Chhattisgarh CAMPA) 150646422047570 Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi – 110003 जमा कर दिया गया है। पावती की सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition - (V)

At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India.

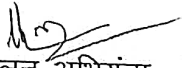
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 111.456 हेक्टेयर वन भूमि व्यपवर्तन में विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतिम रूप देने के पश्चात यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि देय होती है तो यह राशि राज्य शासन को देने में छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर सहमत है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (v) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition – (vi)

All the funds received from the user agency under the projects, except the funds realized for regeneration/demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA, through e-challan, in the Saving Bank Account pertaining to the state concerned.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के अंतर्गत उपयोगकर्ता अधिकरण से प्राप्त समस्त निधि को AD-Hoc CAMPA in saving bank Account में जमा कर दिया गया है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (vi) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition – (vii)

No approach road shall be constructed in the forest area for transportation of steel and other material required for the transmission line. As far as possible the user agency shall use the existing road and the proposed ROW for the transportation of material and in the event of non-availability of such facilities, the User Agency shall transport material manually without construction of any path.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के लिये आवश्यक लोहा एवं अन्य सामग्री को ले जाने हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण नहीं किया जायेगा एवं निर्माण कार्य के दौरान वन क्षेत्र में आवश्यक सामग्री को ले जाने हेतु स्थापित मार्ग का उपयोग किया जायेगा, पहुंच मार्ग की सुविधा न होने की स्थिति में अन्य रोड का निर्माण न कर मनुअल रूप से सामग्री को पहुंचाया जायेगा एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (vii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।

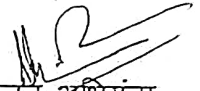

कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition – (viii)

The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जावेगी। एवं समय समय पर किये गए संशोधन का पूर्णतः पालन किया जावेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (viii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (ix)

The user agency will sitetly adhere to conditon as recommended by the National Tiger conservation authority and standing committee of the NBWL which are as below:-

1. In compliance with MoEF&CC's Guidelines, no clearance of vegetation shall be allowed for open areas with sparse vegetation (such as grasslands, wetlands, etc.). A 5.8 meters vertical clearance about ground, 2.5 meters vertical clearance from the vegetation and 1.2 meters horizontal clearance from vegetation could be permitted in other areas of the transmission line. These dimensions are based on clearance November, 2000) and local forest officers should monitor strict implementation of this on ground.

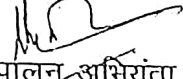
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु MOEF&CC's के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, दुर्लभ वनस्पतियों (जैसे घास के मैदान, आर्द्रभूमि, आदि) के साथ खुले क्षेत्रों के लिए वनस्पति की कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी। जमीन में 5.8 मीटर ऊर्ध्वाधर दूरी, वनस्पति से 2.5 मीटर ऊर्ध्वाधर दूरी और ट्रांसमिशन लाईन के अन्य क्षेत्रों में वनस्पति से 1.2 मीटर क्षैतिज दूरी की अनुमति दी जा सकती है। ये मापदण्ड क्लियरेंस नवम्बर 2000 पर आधारित हैं और स्थानीय वनाधिकारियों को जमीनी स्तर पर उक्त नियमानुसार लागू करने हेतु सख्त निगरानी करनी होगी।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (1) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (ix) (2)

The user agency should design the power pole configuration in accordance with the guideline "provided in eco-friendly measures to mitigate impact of linear infrastructure on wildlife" documented by Wildlife Institute of India, Dehradun in order to prevent the instances of collision of migratory bird with transmission lines. To minimize the bird and bat collision and electrocution, the following preventive an measures/safeguards need to be adopted by the User Agency. Marking of the power lines, wires and earth wires with reflector or other item that will prevent bird collision and death need to be adopted. Marker device are available in several colours and are visible to bird from a long distance. Many type of marker devices are available such as spheres, swinging plates, spiral vibrations, dampers, strips, light diverters, bird's flappers, ribbons, tapes, flags, and cross bands.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा संचारण लाईनों के साथ प्रवासी पक्षियों के टकराव को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय/सुरक्षा अपनाये जायेंगे। बिजली के तारों में रिफ्लेक्टर लगाया जाना है, ताकि पक्षियों के टकराव और मौत को रोका जा सके। मार्कर डिवाइस कई रंगों में उपलब्ध है जो एक लम्बी दूरी से पक्षियों को दिखाई देता है एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (2) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (ix) (3)

The user agency should adhere to the Guideline issued by the Hon'ble National green Tribunal in its Judgment in Jan Jagran Samithi Vs. Union of India and Other (Appeal No. 10 of 2012) related to transmission line passing through the forest in Western ghats.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकारी द्वारा जन जागरण समिति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (अपील क्रं. 10 2012 का) पश्चिमी घाटी के जंगल से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाईन से संबंधित निर्णय में जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (3) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (ix) (4)

Forest clearance division of the MoEF&CC, in consultation with the Central Electricity Authority, had also issued guidelines pertaining to transmission line passing through forest. The User Agency should follow these guidelines while constructing the power line.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु MoEF&CC के वन मंजूरी प्रभाग द्वारा संचारण लाईन से संबंधित दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (4) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।

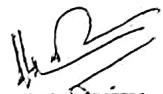

कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (ix) (5)

No construction /maintenance work shall be permitted between 6 PM to 7 AM.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु शाम 6.00 बजे से सुबह 7.00 बजे के बीच कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा एवं अन्य शर्तों का पालन किया जावेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त / कंडिका क्रमांक (ix) (5) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (ix) (6)

Labour camp should be away from the boundaries of the Protected Areas/Reserved forests/Protected Forest along the entire length of the proposed transmission line

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु लेबर कैम्प संरक्षित क्षेत्र/आरक्षित वन/संरक्षित वन के सीमा से दूर बनाया जायेगा एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (6) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Conditio (ix) (7)

No construction materials (including soil, stones etc.,) should be collected from the forest.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा कोई निर्माण सामग्री मिट्टी पत्थर आदि जंगल से एकत्रित नहीं किया जायेगा एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (7) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Conditon (ix) (8)

The topsoil to a depth of 30 cm should be first gathered, piled aside and covered with a tarpaulin or suitable other material. Top soil should be re-spread as early as possible over the disturbed or excavated area, after completion of the work to a depth of 30 cm.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा शिर्ष मिट्टी 30 से.मी. की गहराई तक इकट्ठा कर एक तरफ ढेर कर तिरपाल व अन्य उपयुक्त सामग्री से ढका जाना है। कार्य के पूर्ण होने के पश्चात 30 से.मी. की गहराई तक शिर्ष मिट्टी को फिर से शीघ्र यथा संभव फैला दिया जाना है एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (8) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।

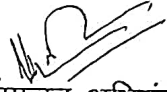

कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (ix) (9)

Construction debris should not be dumped inside the forest area and they should be transported by the User Agency to suitable dumping sites outside the forest.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु मलबे वन क्षेत्र के अंदर नहीं फेंका जायेगा एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (9) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (ix) (10)

Movement of vehicle should be strictly restricted to existing roads and tracks and creation of new roads and tracks or off-roading shall be prohibited. All vehicles delivering loose construction material and any such material gathered at the site must be covered by appropriate material such as tarpaulin to prevent dust spreading pollution, or wastage.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु वाहनों की आवाजाही मौजूदा सड़को पर किया जायेगा। ढीले निर्माण सामग्री और साइट पर इकट्ठे हुए किसी भी ऐसी सामग्री को पंहुचाने वाले सभी वाहनों को तिरपाल से ढक दिया जायेगा। ताकी प्रदूषण ना फैले इसका ध्यान रखा जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (10) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (ix) (11)

Movement of vehicle and use of heavy machineries from riverine areas and water course along the entire lenth of the proposed transmission line should also be kept minimal.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

प्रस्तावित पारेषण लाइन के पूरे लम्बाई के साथ नदी क्षेत्रों और वाटर कोर्स से वाहन और भारी मशीनरी के उपयोग की आवाजाही भी न्यूनतम रखी जायेगी एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (11) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (ix) (12)

Clear felled areas should be annually cleaned on the line of and coinciding with the schedule of fire line preparation. The clear felled area and transmission line should be jointly patrolled regularly by User Agency and Forest Department.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से नियमित पेट्रोलिंग किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/ कंडिका क्रमांक (ix) (12) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (ix) (13)

Erection, repair and maintenance work will be carried out under intimation to Forest Department.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा निर्माण मरम्मत और रखरखाव का काम वन विभाग को सूचना के तहत किया जाएगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (13) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (ix) (14)

Existing sub- subsidiary electricity line providing electricity to the villages in core and buffer areas will be insulated and re-aligned along the road to check the possible electrocution.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

कोर और बफर क्षेत्र में गावों की बिजली उपलब्ध कराने वाली मौजूदा उप सहायक बिजली लाईन को इनसूलेट किया जाना है। तथा संभावित इलेक्ट्रोडक्शन की जांच हेतु पुनः सड़क मार्ग के साथ संरेखन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (14) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (ix) (15)

The User Agency may de-commission, other power line and distribution facilities, preferably in the area or in the other afforested parts of the State, which have become obsolete, defunct or damaged. De-commissioning activities may include demolition and removal of the installed infrastructure (e.g. transmission towers, sub-station, above ground and underground utilities and access/approach road de-commissioning) and reclamation of the project site, including the ground stabilization and re-vegetation with the native species typical to the natural vegetation of the area.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा बिजली लाईन वितरण सुविधाओं अधिमता क्षेत्र में या राज्य के Afforested भाग में जो कि अप्रचलित मृत या क्षतिग्रस्त स्थापित बुनियादी ढांचे को हटाने में शामिल किया जाना है एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (ix) (15) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condotion (x)

No labour camp shall be established on the Forest Land;

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के दौरान वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प/तम्बू निवास स्थापित नहीं किया जावेगा एवं शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (x) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition – (xi)

The User Agency shall provide cooking energy preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;

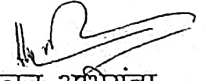
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.वी. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के दौरान वन क्षेत्रों पर किसी भी प्रकार की क्षति और दबाव नहीं बनाया जायेगा एवं कार्यरत कर्मचारी और मजदूरों के लिए वैकल्पिक ईंधन का उपयोग ना कर जलाउ लकड़ी की व्यवस्था की जायेगी एवं शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xi) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xii)

The boundary of the diverted forest land shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar;

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के व्यपवर्तन वन भूमि की सीमा के लिए कांकीट स्तंभ बनाकर उसमें सरल क्रमांक फारवर्ड और बैकवर्ड बीयरिंग तथा स्तम्भ से स्तम्भ के बीच की दूरी दर्शाया जायेगा एवं अन्य शर्तों का पालन किया जावेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।

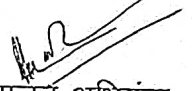

कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xiii)

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये नहीं किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xiii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (xiv)

The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.वी. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के दौरान वन क्षेत्र में पाए जाने वाले वन्यजीवों को कोई क्षति न हो इसका ध्यान रखा जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xiv) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (xv)

Width of right of way for the transmission line shall be limited to 27 m.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन वन क्षेत्रो से खींच जाने वाली लाईन के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा एवं वनभूमि पर ट्रांसमिशन लाईन व सीमा 27 मीटर चौड़ाई की होगी।



कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xv) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।



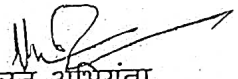
कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xvi)

The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन मार्ग नक्शे को केन्द्र सरकार के स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xvi) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xvii)

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government.

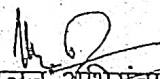
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वन भूमि को व्यपवर्तन किए जाने का प्रस्ताव को किसी भी परिस्थिति में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंन्सी विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xvii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।

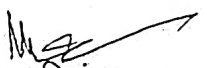

कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xviii)

The user agency shall install circuit breakers at suitable places besides maintain necessary ground clearance to prevent electrocution of wild animals;

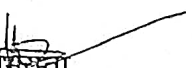
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के दोनों सिरों पर बनने वाले उपकेन्द्रों में सर्किट ब्रेकर स्थापित किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xviii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xix)

Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that to under strict supervision of the state forest depart.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा वृक्ष कटाई का कार्य अनिवार्य रूप से छ.ग. शासन व विभाग के निगरानी में किया जावेगा एवं अन्य शर्तों का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xix) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

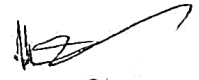
Condition (xx)

To minimize the felling for construction of transmission line, user agency shall comply with the following guidelines:

- (a) Below each conductor, width clearance of 3 mtr. Would be permitted for carrying the tension stringing equipment. The trees on such strips may be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा उपकरण लगाने एवं प्रत्येक विद्युत चालक के नीचे टेंशन stringing उपकरण को ले जाने के लिए 3 मीटर चौड़े क्षेत्र में कटाई की जायेगी। तार खींचने के कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्राकृतिक पुनरुत्पादन/बढ़ने दिया जायेगा जहां ट्रांसमिशन लाईन से संबंधित सफाई बनाये रखना आवश्यक हो वहां स्थानिय वन अधिकारी के अनुमति से वृक्षों को कटाई/टूट/छटाई की जायेगी एक बहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा ताकी ट्रांसमिशन लाईन को रख रखाव किया जा सकेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xx) (a) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition xx (b)

One outer strip may be left clear to permit maintenance of the transmission line ;

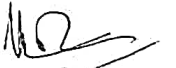
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के लिए एक बाहरी पट्टी को साफ रखा जायेगा, ताकि ट्रांसमिशन लाईन का रख-रखाव किया जा सके।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त / कंडिका क्रमांक (xx) (b) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (xx) (c)

In the remaining width the right of way felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to CSPTCL is agreed for the compliance of condition mentioned maintain the electrical clearance, trees shall be allowed to be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the minimum 4.0 meter clearance between conductors and trees. The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above;

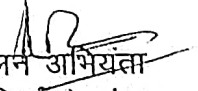
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु अधिकृत मार्ग के भीतर शेष चौड़ाई में तार और वृक्षों के बीच 4 मीटर की न्यूनतम clearance रखते हुए विद्युत संबंधी खतरों के निवारण के लिये आवश्यक हो वहां स्थानीय वनाधिकारी की अनुमति से वृक्षों की कटाई अथवा छाटाई की जावेगी। न्यूनतम Clearance का हिसाब लगाते समय तारों के अवतलन एवं विस्तार का ध्यान रखा जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xx) (c) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (xx) (d)

User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in right of way under the transmission line, and provide funds for execution of the said scheme to the State Forest Department : and

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु कतार पर बौनी प्रजाति के पौधों का (विशेष कर औषधीय पौधों) के वृक्षारोपण वन विभाग द्वारा किया जावेगा । जिस हेतु औषधीय रोपण कार्य व्यय राशि रु. 43788509.00 RTGS के माध्यम से कैम्पा A/c 150646422047088 Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 1 CGO, Complex, Phase, Lodhi Road, New Delhi-110003 के नाम पर जमा किया गया है। एवं सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर



Main Branch, Raipur (M63)

Counterfoil

Date 01.12.2020
Received From EE EHT (Constn) Dn.
CSPTCL, Gudhiyari, RAIPUR.

By Cheque/Transfer for
RTGS Chq. No. 511735/01.12.2020
On RAIPUR (CG)
Bank STATE BANK OF INDIA, MAIN
BRANCH (A/c No. 10822706438)

Favoring CHHATTISGARH CAMPA
CHHATTISGARH
(As per RTGS Challan for Ad-HOC CAMPA on Dtd.
26.11.2020)

A/c No. 150646422047088
Amount Rs. 43788509.00

Exchange Rs. 47.20

Total Rs. 43788556.20

(Rs. Four crore thirty seven lakh eighty eight
thousand five hundred fifty six and paise twenty)

18 11 20 12 01 00 70

02012010070



(Bank Seal & Signature)

974

Executive Engineer
EHT (Constn.) Dn. CSPTCL, RAIPUR

Condition (xx) (e)

In case a portion of the transmission lines to be constructed is located in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees shall not be cut;

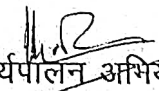
शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण के मामलों में जहाँ पर्याप्त वृक्षहीन क्षेत्र पहले से उपलब्ध है, वृक्ष नहीं काटे जावेंगे।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xx) (e) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

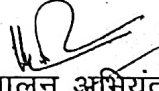
Condition (xxi)

The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco –friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन निर्माण के अंतर्गत व्यपवर्तन किये गये वन भूमि में पक्षियों के वास/अवास को सफाई किया गया है। राज्य शासन से परामर्श कर किसी विशेष क्षेत्र या अवधि में पक्षियों के वैकल्पिक वास/अवास के लिए इस क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल कृत्रिम घोंसला बनाया जायेगा। जिस हेतु Birds Nests परियोजना प्रतिवेदन में निर्धारित राशि रु. 2197000.00 RTGS के माध्यम से कैम्पा A/c 150646422047161 Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 1 CGO, Complex, Phase, Lodhi Road, New Delhi-110003 के नाम पर जमा किया गया है। एवं सत्यापित छायाप्रति संलग्न है।

ऐवीफौना योजना के अनुमोदन उपरांत वन विभाग द्वारा यदि अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो उसे छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा जमा करने हेतु वचनबद्ध रहेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर



Main Branch, Raipur (0461)

Counterfoil

Date 09.01.2019
Received From EE EHT (Constn) Dn.
CSPTCL, Gudhiyari, RAIPUR.

By Cheque/Transfer for
RTGS Chq. No. 700527/09.01.2019
On RAIPUR (CG)
Bank STATE BANK OF INDIA, MAIN
BRANCH (A/c No. 10822706438)

Favoring CHHATTISGARH CAMPA
CHHATTISGARH
(As per RTGS Challan for Ad-HOC CAMPA on Dtd.
09.01.19)

A/c No. 150646422047161
Amount Rs. 2197000.00

Exchange Rs. 59.00

Total Rs. 2197059.00

(Rs. Twenty One Lac Ninety Seven Thousand Fifty
Nine) Only.

UTR No.

S R I M A

520190109 00047293

(Bank Seal & Signature)


Executive Engineer
EHT (Constn.) Dn. CSPTCL, RAIPUR

Condition (xxii)

The State Government shall ensure that process of settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest rights) Act, 2006, if any, has been completed in accordance with the guidelines issued by the MoEF & CC in this regard;

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित एवं कर्तव्यों के अधिकारों के निर्वहन एवं वन संरक्षण अधिनियम के लिए वन पर्यावरण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xxii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xxiv)

The State Government shall monitor compliance of condition of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year;

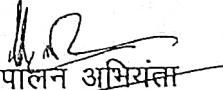
शर्त का पालन प्रतिवेदन

राज्य सरकार के द्वारा वन क्लियरेंस की शर्त के अनुपालन पर नजर रखेगी और प्रत्येक वर्ष की 31 दिसंबर को इस संबंध में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xxiv) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (xxiii)

The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State;

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 1 जुलाई तक अर्धवार्षिक स्वतः अनुपालन रिपोर्ट तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ राज्य के नोडल अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xxiii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xxv)

The state government shall submit site suitability certificate for raising compensatory Afforestation mentioning the name of concerned DFO/DCF including date along with state -1 compliance report.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संबंधित DFO/DCF द्वारा प्रथम चरण रिपोर्ट के साथ स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जायेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xxv) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xxvi)

Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation protection and development of forests & wildlife.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु APCCF, Regional Office, Nagpur. द्वारा जो भी अन्य शर्तें (for the conservation of flora and fauna as and when necessity arises) अधिरोपित की जाएगी उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xxvi) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि., रायपुर

Condition (xxvii)

The User Agency and the state Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines ,for the time being in force, as applicable to the project; and

शर्त का पालन प्रतिवेदन

छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर द्वारा 132 के.व्ही. नगरी-इन्दागाँव ट्रांसमिशन लाईन वन विभाग द्वारा नियम अधिनियम एवं दिशा निर्देश का पूर्णतः पालन किया जायेगा ।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xxvii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

Condition (xxviii)

The State Government, if so desire , may consider the proposal for grant of working permission in accordance with the provision as contained in the MoEF& CC's Guidelines dated 07.05.2015.

शर्त का पालन प्रतिवेदन

MOEF & CC के सिद्धांत दिनांक 28.08.2015 में निहित शर्तों के अनुसार कार्य करने के प्रस्ताव पर राज्य शासन के द्वारा अनुमति प्रदान किया जा सकता है एवं अन्य शर्तों का पालन किया जावेगा।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण)संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर

वचन पत्र

उपरोक्त शर्त/कंडिका क्रमांक (xxvii) के पालन हेतु छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर वचन बद्ध है।


कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा.(निर्माण) संभाग
छ.ग.स्टेट पावर ट्रांस.कं.लिमि.,रायपुर